दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 27.03.2023
निर्णय उद्घोषित : 06.04.2023

+ आप. अ. सं. 22/2023 एवं आप.वि. (ज़मानत) 29/2023

सोनू @ बिल्ला .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री आशीष दहिया, अधिवक्ता

बनाम

राज्य, द्वारा- थानाध्यक्ष, ...प्रत्यर्थी
थाना पश्चिम विहार पूर्व

द्वारा: श्री नरेश कुमार चहर, राज्य के अति.लो.अभि. के साथ डब्ल्यू/एस सुरभि अग्रवाल, थाना पश्चिम विहार ईस्ट के साथ ।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

निर्णय की अनुक्रमणिका

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि 2

फाज़िल अधिवक्ताओं के तर्क 3

साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही 5

आईपीसी की धारा 354 ग: ताक में देखना: विश्लेषण और निष्कर्ष 8

(i) निजी अधिनियम बनाम सार्वजनिक अधिनियम..... **11**

(ii) उचित अपेक्षा **12**

निष्कर्ष **17**

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.

1. वर्तमान अपील अपीलार्थी की ओर से भारतीय दंड संहिता 1860 ('आई.पी.सी') की धारा 354ग और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ('पॉक्सो अधिनियम') की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन पश्चिम विहार पूर्व, दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी संख्या 730/2014 से उद्भूत सत्र संख्या 234/14 *'राज्य बनाम सोनू @ बिल्ला'* में दिनांक 15.11.2021 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 15.12.2021 को पारित दण्डादेश, जिसमें फाज़िल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-07 (पॉक्सो), पश्चिमी तिस हज़ारी न्यायालय, दिल्ली ('विचारण न्यायालय')

द्वारा अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 354ग और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे एक वर्ष के कठिन कारावास एवं ₹2000/- का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई है जिसमें त्रुटि होने पर अपीलार्थी को एक महीने की सामान्य क़ैद की सज़ा भी होगी, के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('सी.आर.पी.सी.') की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई है।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. संक्षिप्त में, वर्तमान अपील के न्यायनिर्णयन के लिए निम्नलिखित तथ्य आवश्यक है:

वर्तमान प्राथमिकी दिनांक 24.09.2014 को एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जब पीड़िता अपने घर के बाहर बैठती थी, तो अपीलार्थी कामुकता भरी दृष्टि से उसे देखता था और जब भी वह नहाने जाती थी, तो अपीलार्थी अलग-अलग बहानों से बाथरूम के बाहर खड़ा रहता था और बाथरूम के अंदर झांकता था। यह भी आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी पीड़िता के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां और इशारे करता था। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी दर्ज होने से एक सप्ताह पहले, जब पीड़िता अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठी थी, तो अपीलार्थी ने उसकी ओर लोहे की तार का छल्ला फेंका था और जब उसने आपत्ति जताई, तो अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां की थीं। तत्पश्चात, पीड़िता

ने शिकायत दर्ज कराई थी और उसी के आधार पर वर्तमान प्राथमिकी भा.दं.सं. की धारा 354ग/509 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत दर्ज की गई थी। दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और जांच के बाद भा.दं.सं. की धारा 354ग/509 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा भा.दं.सं. की धारा 354ग/354घ और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आरोपों की विरचना की गई।

3. साक्ष्य पूरा करने और बहस सुनने के बाद, माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 354ग और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी ठहराया गया और पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित सज़ा सुनाई गई ।

<u>फाज़िल अधिवक्ता(गण) के तर्क</u>

4. अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता ने माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुरज़ोर विरोध करते हुए कहा कि न्यायालय ने अपीलार्थी को मान्यताओं, धारणाओं, संयोग और संदेह के आधार पर दोषी ठहराया है। यह तर्क दिया गया है कि माननीय विचारण न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की असंगति को संज्ञान में नहीं लिया। अतः वह बयान विश्वसनीय नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को हर तर्कसम्मत संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा है। इसके

अतिरिक्त, माननीय विचारण न्यायालय ने इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया कि पीड़िता द्वारा अपीलार्थी पर बाथरूम के अंदर झाँकने का आरोप दुर्भावनापूर्ण इरादों से लगाया गया था क्योंकि पीड़िता के परिवार और अपीलार्थी के बीच के संबंध ख़राब थे और वह एक दूसरे की झुग्गियों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे और किसी न किसी बहाने से एक-दूसरे से लड़ते भी रहते थे। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी निष्पक्ष गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया कि पुलिस अधिकारियों ने एक कागज पर पीड़िता के हस्ताक्षर लिए थे जिस पर केवल एक या दो पंक्तियां लिखी गईं थी जिससे पीड़िता की गवाही संदेहजनक हो जाती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि पीड़िता को एक कॉलेज जाने वाली शिक्षित लड़की होने के नाते बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। फाज़िल अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्ल्यू.- 3 ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्राथमिकी किसी व्यक्ति की मदद या सिफ़ारिश से दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता की जन्म तिथि प्रमाणित नहीं की जा सकी है क्योंकि पी.डब्ल्यू.-2 अर्थात पीड़िता की माँ और पी.डब्ल्यू.- 3 अर्थात पीड़िता के पिता ने उसकी जन्म तिथि, यानी 16.03.1997 जो वास्तव में उसे गोद लेने की तिथि है, के संबंध में न्यायालय के समक्ष अलग-अलग बयान दिए हैं, हालांकि उन्हें उसकी वास्तविक जन्म तिथि मालूम नहीं है। वर्तमान

मामले में, विद्यालय अभिलेख में उल्लिखित जन्म तिथि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीड़िता की माँ ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसे पीड़िता की वास्तविक जन्म तिथि मालूम नहीं है। विद्यालय प्रशासन भी पीड़िता की सही जन्म तिथि के बारे में न्यायालय को सूचित करने में असमर्थ रही है। यह भी तर्क दिया गया है कि स्नान करने का कार्य सार्वजनिक स्थान अर्थात पीड़िता की झुग्गी के बाहर की सड़क पर किया गया था जैसा कि गवाहों द्वारा स्वीकार किया गया है जिसके कारण यह घटना भा.दं.सं. की धारा 354ग के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थान पर पीड़िता की झुग्गी के बाहर स्थित बाथरूम में स्नान करने के कृत्य को वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, झीलों, तालाबों या यहां तक कि धार्मिक स्थानों पर नदियों में स्नान करने वाले व्यक्ति के समान माना जा सकता है। अतः आक्षेपित निर्णय को रद्द करने का निवेदन किया जाता है।

5. दूसरी ओर, राज्य के फाज़िल अति.लो.अभि. का तर्क है कि माननीय विचारण न्यायालय के आदेश में कुछ भी ग़ैर कानूनी या अनिश्चित नहीं है क्योंकि न्यायालय में दिया गया पीड़िता का साक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान सुसंगत हैं और किसी भी अनिश्चितता से ग्रस्त नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि जब भी पीड़िता नहाने जाती थी तो अपीलार्थी कामुकता भरी दृष्टि से बाथरूम के अंदर झांकता था और पीड़िता के विरुद्ध अश्लील टिप्पणियां और इशारे भी करता था। इस संबंध में, गवाहों के बयान सुसंगत हैं।

6. इस न्यायालय ने अपीलार्थी और राज्य की ओर से की गई बहस को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया है।

<u>साक्ष्य एवं गवाहों के बयान</u>

7. माननीय विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को मुख्य रूप से इस आधार पर दोषी ठहराया है कि पीड़िता के साथ-साथ उसके माता-पिता पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के बयानों में कोई विसंगति नहीं थी और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन कर यह साबित किया है कि जब पीड़िता नहाती थी तब अपीलार्थी बाथरूम के अंदर झांकता था। इस मामले को पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय माना गया है क्योंकि पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपीलार्थी की मानसिक स्थिति को, यह ध्यान में रखते हुए कि उसने जानबूझकर बाथरूम में झांका और पीड़िता और उसके माता-पिता द्वारा कई चेतावनियों के बावजूद पीड़िता के विरुद्ध अश्लील टिप्पणियां कीं, आपराधिक माने जाने पर अपीलार्थी अपने बचाव में कथित पूर्वानुमान का खंडन करने में और यह साबित करने में कि उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी विफल रहा था। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध को साबित करने में समर्थ रहा है क्योंकि पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत बनाए गए पूर्वानुमान का खंडन नहीं किया जा सका है।

8. यह न्यायालय पी.डब्ल्यू.- 1 अर्थात पीड़िता द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को संज्ञान में लेता है, जिसमें उसने यह बयान दिया है कि अगस्त/सितंबर, 2014 में, जब वह बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा थी, अपीलार्थी अपने दोस्तों के साथ उसके घर के बाहर स्थित बाथरूम के बाहर खड़ा रहता था और जब वह नहाने जाती थी तो बाथरूम के अंदर झांकता था। इसके अतिरिक्त, जब भी वह बाहर सड़क पर बैठती थी तो अपीलार्थी उसे कामुकता भरी दृष्टि से घूरता था। जब उसने अपने माता-पिता को अपीलार्थी के इस आचरण के बारे में बताया, तो वह अपीलार्थी के घर गए थे। परन्तु, अपीलार्थी के माता-पिता और बहन ने उनके साथ झगड़ा किया और पीड़िता के विरुद्ध टिप्पणियां की थीं। पीड़िता ने अपनी गवाही में यह भी बयान दिया है कि एक दिन जब वह बिजली जाने पर अपने माता-पिता के साथ सड़क पर बैठी थी, तो अपीलार्थी ने उस पर लोहे के तार का छल्ला फेंका था, और जब उसने उस पर आपत्ति जताई, तो अपीलार्थी ने उसे अश्लील गालियां दी थीं जिसके कारण अपीलार्थी के माता-पिता और पीड़िता के माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था। तत्पश्चात, पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई, जो प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/ए के रूप में विधिवत साबित हुई है। जांच के दौरान, पीड़िता ने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत भी अपना बयान दिया और न्यायालय में अपीलार्थी की शिनाख़्त भी की। हालांकि, प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से यह पता चलता है कि पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसके माता-पिता और अपीलार्थी के माता-पिता के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार

किया है कि अपीलार्थी ने एक भी शब्द सीधे पीड़िता को नहीं कहा था और अपने दोस्तों से बात किया करता था, लेकिन जब भी वह अपीलार्थी को इस तरह की टिप्पणियां करने से मना करती थी, तो वह भद्दी टिप्पणियां करता था। पी.डब्ल्यू.-2 अर्थात पीड़िता की माँ ने यह बयान किया है कि अपीलार्थी और पड़ोस के अन्य व्यक्तियों के साथ विवाद के डर से, उसने पहले शिकायत दर्ज नहीं की, हालांकि वह जानती थी कि अपीलार्थी उसकी बेटी को छेड़ता था और झगड़ा भी तब हुआ जब अपीलार्थी ने उसके पति की उपस्थिति में उसकी बेटी पर लोहे के तार का छल्ला फेंका। इसके अतिरिक्त, उसने अपनी गवाही में यह भी कहा कि चूंकि वे झुग्गी में रहते हैं, इसलिए वे अपनी झुग्गी के सामने खुली जगह का बाथरूम के रूप में उपयोग करते थे और वह बाथरूम छोटी दीवारों से घिरा था और वह बाथरूम जाते समय पर्दे लगा देते थे। पीड़िता की माँ ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने एक या दो बार जब उसकी बेटी नहा रही थी अपीलार्थी को बाथरूम के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए देखा था, और उसने अपीलार्थी के साथ-साथ उसकी मां से भी आपत्ति जताई थी। परन्तु, उन्होंने उसके साथ झगड़ा किया और इसलिए, वर्तमान शिकायत दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, पीड़िता की माँ की गवाही से यह भी पता चलता है कि 16.03.1997 को जब उसने पीड़िता को गोद लिया था तब वह 22 दिन की थी, लेकिन उसे पीड़िता की वास्तविक जन्म तिथि की जानकारी नहीं है। पी.डब्ल्यू.- 3 यानी पीड़िता के पिता ने अपने बयान में भी पी.डब्ल्यू.- 2 द्वारा बताए गए तथ्यों का उल्लेख किया।

उसने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थी को उसकी बेटी के स्नान करते समय बाथरूम के पास खड़े देखा था और जब उसने उस पर आपत्ति जताई थी, तो अपीलार्थी ने उस स्थान को सार्वजनिक बताते हुए वहां से हटने से मना कर दिया था। जब उसने इस संबंध में पुलिस में शिकायत की तो अपीलार्थी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात अपीलार्थी पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया था जिसके कारण अपीलार्थी ने उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि वह उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। तत्पश्चात, पी.डब्ल्यू.-3 ने वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता ने यह भी कहा कि उसने अपीलार्थी की हरकतों को दो या तीन महीने तक बर्दाश्त किया था, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी की जन्म तिथि 16.03.1997 है और जब उसे गोद लिया गया तो वह 28 दिन की थी। पी.डब्ल्यू.-4 ने विद्यालय अभिलेख के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 16.03.1997 साबित की, जो बच्चे को विद्यालय में दाखिल करते समय उसके पिता द्वारा बताई गई थी। प्रतिपरीक्षा में, पी.डब्ल्यू.- 4 ने स्वीकार किया है कि बच्चे के माता-पिता द्वारा उसके दाखिले के समय कोई दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए थे क्योंकि उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। अन्य गवाह औपचारिक हैं। न्यायालय ने पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए पी.डब्ल्यू.- 2 की सी.डब्ल्यू.- 1 के रूप में फिर से जांच की, जिसने अपनी बेटी की सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी मैट्रिक की ग्रेड शीट की मूल प्रति को अभिलेख पर रखा। अपनी प्रतिपरीक्षा में

उन्होंने कहा कि कथित जन्म तिथि एम.सी.डी. द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र पर आधारित है।

<u>भा.दं.सं. की धारा 354ग- दृश्यरतिकता: विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

9. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से भारत में दृश्यरतिकता को महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध के रूप में प्रस्तावित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी को अन्य बातों के अतिरिक्त भा.दं.सं. की धारा 354ग के तहत दोषी ठहराते हुए सज़ा दी गई है, उक्त प्रावधान का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नलिखित है:

> "354ग दृश्यरतिकता- ऐसा कोई पुरुष, जो कोई ऐसी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों के अधीन, जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि इसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा इस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की

नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्राइवेट कृत्य" के अंतर्गत ऐसे किसी स्थान में देखने का कार्य किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रुप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहाँ कि पीड़िता के जननांगो, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है अथवा जहाँ कि पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है; या जहाँ पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2- जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और जहाँ उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा।"

(ज़ोर दिया गया)

10. धारा 354ग का स्पष्टीकरण 1 'प्राइवेट कृत्य' के अर्थ को स्पष्ट करता है। जब दृश्यरतिकता की परिभाषा स्पष्टीकरण के साथ पढ़ी जाती है, तो उसके दायरे में अपराधी द्वारा किया गया वह कृत्य भी आता है जिसमें वह किसी महिला/पीड़ित पर तब नज़र रखता है जब वह किसी ऐसे स्थान को इस्तेमाल कर रही हो जहाँ वह 'प्राइवेट कृत्य' करते समय परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रुप से यह प्रत्याशा करती हो कि वह स्थान उसे एकांतता प्रदान करेगा और जहाँ पीड़िता के जननांग, नितंब या वक्षस्थल अभिदर्शित हों या केवल अधोवस्त्र से ढके हों अथवा जहाँ कि पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही हो; या जहाँ पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही हो जो ऐसे प्रकार का न हो जिसे साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जा सके एवं उसे यह उचित अपेक्षा हो कि उसे अपराधी द्वारा या अपराधी के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जाएगा और जहाँ पीड़िता खुद की या किसी कृत्य के चित्र को खींचने के लिए सम्मति दे किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति न दे और जहाँ ऐसे चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता हो।

11. अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता द्वारा दो तर्क दिए गए, पहला कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी पीड़िता की झुग्गी के बगल की झुग्गी में रहता है। चूंकि बाथरूम उनकी झुग्गियों के बाहर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित था, इसलिए अपीलार्थी को दृश्यरतिकता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह केवल अपने घर के बाहर खड़ा था जो उसका अधिकार है। दूसरा

यह कि वर्तमान मामले में, एक सार्वजनिक स्थान पर स्थित होने के कारण पीड़िता द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाथरूम को 'निजी क्षेत्र' नहीं कहा जा सकता, बल्कि 'सार्वजनिक स्थान' कहा जा सकता है और इस प्रकार ऐसे 'सार्वजनिक स्थान' पर स्नान करने के कार्य को 'निजी कार्य' नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि यदि यह न्यायालय इसके विपरीत मानता है, तो उस परिस्थिति में, कई हज़ार व्यक्तियों पर केवल सार्वजनिक स्थानों, जैसे वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, झीलों, तालाबों या यहां तक कि धार्मिक स्थानों पर नदियों में स्नान करते समय भी केवल उनकी उपस्थिति के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

12. परन्तु, यह न्यायालय अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता की पूर्वोक्त दलीलों से सहमत नहीं है क्योंकि वे कानून के विपरीत हैं और उनकी व्याख्या अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार नहीं की जा सकती है।

(i) निजी कार्य बनाम सार्वजनिक कार्य

13. जहां तक अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता द्वारा दिए गए पहले तर्क का संबंध है, यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्नगत बाथरूम एक खुले क्षेत्र में स्थित था, लेकिन वह एक खुला सार्वजनिक स्थान नहीं था जैसा कि अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता द्वारा कहा गया है। गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि बाथरूम की छोटी दीवारें थीं और पीड़िता स्नान करते समय एक पर्दा लगा दिया करती थी। यह तर्क कि नहाने का कार्य निजी कार्य नहीं

माना जा सकता क्योंकि वह सार्वजनिक स्थान पर किया जा रहा था, न केवल गुणहीन है बल्कि बेतुका भी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बाथरूम में नहाना, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अनिवार्य रूप से एक 'निजी कार्य' है क्योंकि वह बाथरूम की चार दीवारों के अंदर हो रहा है।

14. वर्तमान मामले में, हालांकि, यह सच है कि बाथरूम का निर्माण एक सार्वजनिक स्थान पर पीड़िता की झुग्गी के बाहर किया गया था, लेकिन वह चार दीवारों से ढाका निर्माण बाथरूम के रूप में उपयोग किया जा रहा था। बाथरूम का प्रवेश द्वार नहाने के समय पर्दे से ढक दिया जाता था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह बाथरूम एक खुला सार्वजनिक स्थान था। इसी प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उसमें स्नान करने वाली महिला एक 'निजी कार्य' में व्यस्त मानी जाएगी और उसे यह युक्तियुक्त प्रत्याशा होगी कि उसे कोई नहीं देखेगा।

15. अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता का यह तर्क कि वर्तमान मामले में पीड़िता द्वारा स्नान करने का कार्य, एक 'निजी कार्य' होने के बजाय, एक 'सार्वजनिक कार्य' है, पूरी तरह से गुणहीन है। केवल इसलिए क्योंकि महिला द्वारा बाथरूम के रूप में इस्तेमाल किये जा रहे निर्माण में दरवाज़ा नहीं है, बल्कि केवल एक पर्दा लगा है, अस्थायी दीवारें हैं और वह बाथरूम उसके घर के बाहर स्थित है उस निर्माण को सार्वजनिक स्थान नहीं बनाता है और यह तर्क कि उपरोक्त कारणवश पीड़िता द्वारा स्नान करने का कार्य 'निजी कार्य' होने के बजाय 'सार्वजनिक कार्य' बन जाता है, स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर

दिया जाना चाहिए। यदि अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क को सही माना जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि यदि कोई महिला अपने घर के अंदर बाथरूम में नहाती है तो वह एक 'निजी कार्य' माना जाएगा और यदि वह अपने घर के बाहर किसी ढके हुए बाथरूम में नहाती है तो वह एक 'सार्वजनिक कार्य' बन जाएगा, जो तर्कहीन होगा। अतः यह न्यायालय यह मानता है कि इस मामले में प्रश्नगत बाथरूम एक सार्वजनिक स्थान नहीं है और उसमें स्नान करने का कार्य एक 'निजी कार्य' है।

(ii) युक्तियुक्त प्रत्याशा

16. भा.दं.सं. की खंड 354ग के अधीन मामले के न्यायनिर्णयन में निजता की 'युक्तियुक्त प्रत्याशा' का सिद्धांत केंद्रीय भूमिका निभाता है। 'युक्तियुक्त प्रत्याशा' की परिभाषा सुनिश्चित नहीं की गई है, परन्तु उसका आकलन हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार करना होगा और वह अपराध की जगह और तरीके पर भी निर्भर करेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बंद बाथरूम में नहाने वाली महिला उचित रूप से यह उम्मीद करेगी कि उसकी एकांतता पर कोई अतिक्रमण नहीं होगा और बंद दीवारों में पर्दे के पीछे होने के कारण उसे कोई नहीं देख रहा होगा। उक्त बाथरूम के अंदर अपराधी द्वारा झांकने का कार्य निश्चित रूप से उसकी निजता पर अतिक्रमण माना जाएगा।

17. वर्तमान अपराध को लागू करने के पीछे का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर अंकुश लगाना और उनकी निजता और यौन स्वेच्छा की रक्षा करना था। कानून को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नागरिक मन की शान्ति के साथ एक शांतिमय जीवन का आनंद उठा सकें इस आश्वासन के साथ कि उनकी एकांतता का सम्मान किया जाएगा और इस तरह के अतिक्रमण और कुचेष्टा के लिए अपराधी को दृश्यरतिकता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की यौन स्वेच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए और उसके उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

18. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी पीड़िता को दैनिक कार्य करते समय जैसे कि जब पीड़िता इस 'युक्तियुक्त प्रत्याशा' के साथ नहा रही होती थी कि उसे कोई नहीं देखेगा बाथरूम के अंदर झाँक कर परेशान कर रहा था, जैसा कि गवाहों की गवाही से साबित हुआ है। धारा 354ग के विषय-वस्तु का अवलोकन वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करने पर इस न्यायालय ने यह पाया कि यह मामला प्रत्यक्ष रूप से भा.दं.सं. की धारा 354ग सहपठित स्पष्टीकरण 1 की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जिसमें 'प्राइवेट कृत्य' का तात्पर्य उल्लिखित है।

19. अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह था कि यदि माननीय विचारण न्यायालय के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है और उसे अपास्त नहीं किया जाता है, तो यह कहने के बराबर होगा कि लोगों को केवल ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित रहने के लिए जहां महिलाएं नहा

रही हों, जैसे कि धार्मिक स्थान, पवित्र नदियाँ, स्विमिंग पूल आदि, अभियोजित किया जा सकता है।

20. यह न्यायालय अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता के तर्क से दृढ़ता से असहमति जताते हुए यह राय व्यक्त करता है कि यह तर्क देते समय, अपीलार्थी के फाज़िल अधिवक्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि जब लोग पवित्र नदियों या जल श्रोतों में डुबकी लगाते हैं, तो वे स्नान नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि पवित्र होने के लिए डुबकी लगा रहे होते हैं। इस तरह के धार्मिक स्थल, बिना किसी संदेह के सार्वजनिक स्थान माने जाते हैं, परन्तु पवित्र होने के लिए डुबकी लगाने के कृत्य की तुलना एक महिला द्वारा चार दीवारों के पीछे पर्दा डालकर स्नान करने के कृत्य के साथ नहीं की जा सकती है क्योंकि उस महिला की यह 'युक्तियुक्त प्रत्याशा' होगी कि ढके हुए द्वार और चार दीवारों के पीछे होने के कारण नहाते समय उसे कोई नहीं देखेगा। अतः, धार्मिक स्थानों पर पवित्र होने के लिए लगाई हुई डुबकी की तुलना उस बंद बाथरूम के साथ नहीं की जा सकती है जहां एक महिला स्नान कर रही हो। बल्कि, उन मामलों में भी, जहाँ महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर स्नान कर रही हों, यह 'युक्तियुक्त प्रत्याशा' की जा सकती है कि ऐसा करते समय भी उनकी तस्वीरें या वीडियो नहीं लिए जाएंगे। ऐसे मामलों में भी यह उनकी एकांतता पर अतिक्रमण होगा। किसी भी व्यक्ति को, उस स्थिति में भी, उस महिला की फोटो, वीडियो आदि लेने का अधिकार नहीं है,

जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 354ग और उसके स्पष्टीकरण के तहत परिकल्पित है।

21. चाहे जो भी हो, इस तर्क को इस अन्य आधार पर भी स्पष्ट रूप से खारिज करने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले के कृत्य की तुलना ऐसे सार्वजनिक स्थानों से नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रश्नगत बाथरूम एक बंद और ढका हुआ निर्माण था।

22. अतः, यह न्यायालय यह मानता है कि वर्तमान मामले में पीड़िता द्वारा की गई युक्तियुक्त प्रत्याशा भा.दं.सं. की धारा 354ग सहपठित स्पष्टीकरण 1 के प्रावधानों के अनुसार और सही है।

23. अतः, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भा.दं.सं. की धारा 354-ग के अधीन दोष-सिद्धि में कोई संदेह नहीं है क्योंकि पीड़िता और उसके माता-पिता सहित सभी गवाहों के बयान सुसंगत हैं और प्रतिपरीक्षा के दौरान होने वाली मामूली विसंगतियों का कोई महत्व नहीं है।

24. संक्षिप्त में, वर्तमान मामले में अपीलार्थी की हरकतें न केवल तुच्छ और अभद्र व्यवहार के अंतर्गत आती हैं, बल्कि उसकी हरकतों से पीड़िता की एकांतता का उल्लंघन भी हुआ है जो कि भा.दं.सं. की धारा 354ग के तहत दंडनीय है।

<u>पीड़िता की उम्रः स्थापित है या नहीं?</u>

25. जहां तक पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, इस न्यायालय की राय है कि पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 ने अपनी मुख्य-परीक्षा और प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्हें पीड़िता की जन्म तिथि की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता को उन्होंने गोद लिया था, हालांकि उन्होंने कहा कि जब उसे गोद लिया गया था तब पीड़िता की उम्र लगभग 22-28 दिन थी। अतः, निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना अनिवार्य हैः

(i) गोद लेने की कोई तिथि अभिलेख पर नहीं रखी गई है और इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि कैसे और किससे पीड़िता को गोद लिया गया था।

(ii) इस बात का भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि पीड़िता के माता पिता इस निष्कर्ष पर किस आधार पर पहुंचे कि गोद लेने के दिन पीड़िता की उम्र 22-28 दिन थी।

26. इसके अतिरिक्त, विद्यालय के संबंधित गवाह ने भी यह बयान दिया कि उन्हें पीड़िता की सही जन्म तिथि की जानकारी नहीं है और पीड़िता के पिता द्वारा दाखिला प्रपत्र में दिए गए प्राख्यापन के आधार पर पीड़िता की जन्म तिथि का उल्लेख किया गया था। इस संबंध में, पीड़िता के माता-पिता पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें पीड़िता की जन्म तिथि की सही

जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पीड़िता के पिता का परिक्षण सी.डब्ल्यू.-1 के रूप में पुनः किया गया, तो जन्म तिथि के लिए विचारण न्यायालय ने सी.बी.एस.ई. के मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र पर निर्भरता जताई। इस संबंध में, माननीय विचारण न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लिखित तिथि वास्तव में पीड़िता के पिता द्वारा दाखिला प्रपत्र में दिए गए प्राख्यापन और केवल अनुमान पर आधारित थी और उन्हें पीड़िता की सही जन्म तिथि की कोई जानकारी नहीं थी, जैसा कि गवाहों द्वारा पहले ही स्वीकार किया गया है। अतः, इस अनुमान पर आधारित जन्म तिथि, जिसका कोई निश्चयात्मक आधार नहीं है, का उल्लेख सी.बी.एस.ई. के नियमानुसार मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र पर किया गया था। हालांकि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि को इन परिस्थितियों में न्यायिक पूर्वोदाहरण के अनुसार सही माना जाना चाहिए, वर्तमान मामले में, पीड़िता पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 की गोद ली हुई पुत्री है, जिन्होंने न तो बच्चे को गोद लेने, उसके जन्म या उसके सगे माता-पिता के संबंध में कोई भी दस्तावेज़ अभिलेख पर रखा है, जिससे इस न्यायालय को यह विश्वास हो सके कि उसकी जन्म तिथि वही है जो विद्यालय में दाखिले के समय उन्होंने बताई थी।

27. हालांकि पीड़िता के माता-पिता के अनुसार गोद लेने के दिन पीड़िता केवल 22-28 दिन की थी, पीड़िता की जन्म तिथि के संबंध में कोई एम.सी.डी. प्रमाणपत्र अभिलेख पर नहीं रखा गया है। घटना के समय पीड़िता

महाविद्यालय की छात्रा थी और न्यायालय में पी.डब्ल्यू.-3 के बयान के अनुसार, घटना के दिन लगभग 17 वर्ष की थी। चूंकि विद्यालय प्रमाण पत्र में गोद लेने की तिथि उल्लिखित है न कि जन्म तिथि, इसलिए माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अनुमान पर आधारित जन्म तिथि, जैसा कि स्वयं पीड़िता के माता-पिता ने स्वीकार किया है, पर निर्भरता जताने में त्रुटि हुई है।

<u>निष्कर्ष</u>

28. पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संबंध में, इस न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि घटना के समय पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी। चूंकि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम साबित नहीं की जा सकी है, इसलिए पॉक्सो अधिनियम के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, दिनांक 15.11.2021 के आक्षेपित निर्णय, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि की गई थी, को रद्द किया जाता है। न्यायालयों द्वारा अपराधों के सामाजिक संदर्भ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

29. न्यायालयों को ऐसे मामलों की सामाजिक वास्तविकताओं से अवगत रहना चाहिए जहाँ अपनी गरीबी के कारण पीड़िता को अपने घर के अंदर एक

बाथरूम की सुविधा प्राप्त नहीं थी, बल्कि उसके घर के बाहर एक अस्थाई बाथरूम था। अपीलार्थी द्वारा बाथरूम, जिसमें दुर्भाग्यवश द्वार की जगह एक पर्दा लगा था, के अंदर झाँकने का कृत्य निश्चित रूप से भा.दं.सं. की धारा 354 ग के तहत दंडनीय है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह का कृत्य निश्चित रूप से किसी भी महिला के लिए शर्मिंदगी का कारण होगा और उसमें अस्थायी बाथरूम की चारदीवारी के अंदर नहाते समय भी देखे जाने का सतत भय उत्पन्न करेगा। अतः जहाँ तक भा.दं.सं. की धारा 354 ग के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। दिनांक 15.11.2021 के आक्षेपित निर्णय और 15.12.2021 के दंडादेश, जिसमें भा.दं.सं. की धारा 354 ग के तहत दोषसिद्धि की गई थी और सज़ा सुनाई गई थी, को बरकरार रखा जाता है।

30. तदनुसार, वर्तमान अपील का निपटान लंबित आवेदन और उपर्युक्त शर्तों के साथ किया जाता है।

31. निर्णय को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

32. चूंकि अपीलार्थी न्यायिक हिरासत में है, इस निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को सूचित करने के लिए अधीक्षक, केंद्रीय कारागार सं. 2, तिहाड़ को भेजी जाए।

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.

06 अप्रैल, 2023/ ज़ेड.पी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*